उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 188वीं बैठक
दिनांक 12 मार्च, 2004 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 188वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री वी0के0 ोवान की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1.	श्री जय शंकर मिश्र	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
2.	श्री वी0 एन0 गर्ग	आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	श्री एस0 आर0 मीना	सचिव, वित्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
	श्री जे0 एन0 चैम्बर	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
	श्री बादल चटर्जी	विशेष सचिव प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन	सदस्य
	श्री मनोज सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
	श्री अतुल कृष्णा	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम	सदस्य
	श्री एम0 एस0 ख़ान	वरिष्ठ नगर नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
9.	श्री वीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
10.	श्रीयुत श्रीपाल वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सचिव

विशेष आमन्त्री

11.	श्री संजय भूसरेड्डी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियो0, उ0प्र0शासन
12.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
13.	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी	वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने अध्यक्ष महोदय निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से स्वागत किया। उनके द्वारा गत कराया गया कि परिषद द्वारा गत बैठक के बाद जुलाई 2003 में विजन मिशन पर ारित कार्य प्रणाली के अन्तर्गत आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया था तथा ारी 2004 में वाह्य सर्विलेन्स आडिट के अन्तर्गत प्रमाणीकरण संस्था मेसर्स ी0क्यू0आई0 द्वारा आइ0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र आगामी छः माह के लिए प्रयोग करने की ति प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पहली बार परिषद की बैठक का ण्डा "पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन" के माध्यम से किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने इसकी ाना की तथा आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार इनफार्मेशन टेक्नालॉजी का उपयोग परिषद समस्त संस्थाओं द्वारा किया जायगा। उन्होंने देश में प्रथम बार आवासिकी के क्षेत्र में ो शासकीय संस्था द्वारा आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए उ0प्र0आवास एवं स परिषद के आवास आयुक्त एवं समस्त अधिकारियों को बधाई दी तथा आशा व्यक्त के इसी प्रकार उ0प्र0शासन के अन्य विभागों व संस्थाओं द्वारा भी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आइ0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके उपरान्त ार एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा की गयी।

आवास एवं विकास परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 3 मार्च,2004 का कार्यवृत्त

सं0	विषय	निर्णय
1	परिषद की 187वीं बैठक दिनांक 09.06.2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयीं।
2	परिषद की 187वीं बैठक दिनांक 09.06.2003 की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित।
3	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय।	अवलोकित।
4	पाण्डेपुर योजना, वाराणसी में 33/11 के0 वी0 विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0, वाराणसी को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
5	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की उत्तरांचल राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों व पदों तथा कार्मिकों के विभाजन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। साथ ही प्रकरण को शासन को सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर अवगत कराने हेतु सन्दर्भित किया जाय।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्तियों के बिक्रय पर लाभ (40 प्रतिशत) लाभांश के सन्दर्भ में।	अनुमोदित।
7	परिषद कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
8	परिषद की वैब साइट पर कम्प्यूटरीकृत "आन लाइन रजिस्ट्रेशन" की सुविधा दिए जाने के सन्दर्भ में।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। आवास आयुक्त को प्रस्ताव की वित्तीय तथा तकनीकी फिज़िबिलिटी का अध्ययन कराने हेतु प्राधिकृत किया गया।
9	वर्ष 2003–04 में वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वैम्बे) के अन्तर्गत आवासों का निर्माण।	अनुमोदित। वाम्बे योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क नगर विकास द्वारा उपलब्ध करायी जाय। इस आशय का अनुरोध नगर विकास विभाग से कर लिया जाय।
10	मंगल पाण्डेय नगर योजना, मेरठ में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण के लिए पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ को निःशुल्क भूमि	अनुमोदित।

	उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	

भूमि अर्जन अनुभाग

188/4-11	जी0 टी0 रोड बाई पास भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, वाराणसी के सम्बन्ध में।	स्थगित।
188/4-12	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी की नियोजन समिति की संस्तुतियों के संबंध में।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-13	दिल्ली सहारनपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की धारा 31(1) के अंतर्गत परिषद की स्वीकृति के संबंध में।	नियोजन समिति मद संख्या 188/1-43 पर अंकित भूखण्ड का परीक्षण कर ले। इस शर्त के साथ अनुमोदित।
188/4-14	धौरूपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना मिर्जापुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-15	जागृति विहार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0 11, मेरठ की विश्लेषण समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-16	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-10 (ग्राम चुनेहटी गाडा सईद पुर व मवी खुर्द), सहारनपुर की धारा-28 का संशोधित प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-17	जौनपुर-इलाहाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, जौनपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-18	रावलीरोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 पूरक-1 बिजनौर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित भू-खण्ड का क्षेत्रफल दस एकड़ से कम है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया।
188/4-19	लखनऊ-गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 फैजाबाद की धारा-28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही, वायबिलिटी दिखवा कर की जाय। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-20	लखनऊ-गोरखपुर बाइ पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, फैजाबाद की धारा-28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही, वायबिलिटी दिखवा कर की जाय। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/4-21	इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार योजना, लखनऊ से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-32 (एल0ए0)/2003 श्री सुखराम शुक्ला व अन्य बनाम यू0पी0स्टेट के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। यदि उपयोग आवासीय होगा तो विकास शुल्क आवासीय दर से और यदि व्यवसायिक होगा तो

		व्यवसायिक दर से लिया जायगा।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

188/5–22	व्यावसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।(सम्पत्ति प्रब0–मु0)	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
188/5–23	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापितों को आबन्टित भूखण्डों की भूमि दर के सम्बन्ध में।	स्थगित।
188/5–24	यू0पी0आई0एल0 कैम्पस विधायक आवास स्वयं वित्त पोषित योजना में माननीय विधायकों पर आरोपित विलम्ब शुल्क को सामान्य रूप से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में। (पंजीकरण)	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
188/5–25	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भू–खण्डों तथा भवनों के पंजीकरण तथा प्रदेशन सम्बन्धी विनियम–1979 (यथा संशोधित जून 1986 तक) में प्राविधानित रक्त सम्बन्ध में अन्तरण को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। आदेश उस तिथि से लागू होगा, जिस तिथि को सम्बन्धित प्राविधान आवास आयुक्त द्वारा स्थगित किए गए थे।
188/5–26	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आबन्टन में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
188/5–27	मृतक परिषद कर्मचारियों को आबन्टित सम्पत्तियों पर देय धनराशि की छूट के सम्बन्ध में।	स्थगित।
188/5–28	परिषद में आवासीय/ व्यावसायिक सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अन्तरण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जाय।

प्रशासन अनुभाग

188/6–29	खण्ड आदि कार्यालयों हेतु फोटो कापी मशीन, फैक्स मशीन, इण्टरकाम एवं वाटर कूलर आदि दिए जाने हेतु मानक निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में। (सम0को0)	अनुमोदित।
188/6–30	वास्तुविद नियोजक संवर्ग में अनुसूचित जाति के रिक्त पद पर प्रोन्नति हेतु सेवा विनियम में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
188/6–31	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
188/6–32	अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थायी किए जाने के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
188/6–33	परिषद के मस्टर रोल श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान रू0 2550 एवं उसके साथ देय मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध	स्थगित।

	में।	
188 / 6–34	परिषद कार्मिकों को 01 जनवरी, 2003 से शासकीय कर्मियों की भाँति मँहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में सार्वजनिक उद्यम विभाग से आदेश प्राप्त करके आदेश निर्गत किया जाय।
188 / 6–35	परिषद में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कार्मिकों को विकलांग कल्याण अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 916 / 65.1.2000 दिनांक 19–6–2000 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें लागू किए जाने के सम्बन्ध में।	सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। शासन को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी।
188 / 6–36	शासनादेश संख्या 13 / 2 / 91 –का–1 –2002 दिनांक 18.10.2002 से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली–2002 के प्राविधान को परिषद अधिष्ठान में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
188 / 6–37	चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करने या बीमार सरकारी कर्मचारी के साथ आने–जाने के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	वापस लिया गया।

लेखा अनुभाग

188 / 7–38	वित्त वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित एवं वित्त वर्ष 2004–05 हेतु प्रस्तावित आय व्ययक।	आवास विकास परिषद द्वारा राजकीय विभागों के लिए किए जा रहे डिपाजिट कार्यों हेतु निर्माण की सीमा पॉच करोड़ से बढ़ाकर बीस करोड़ किए जाने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। यह भी प्रयास किया जाय कि वर्ष 2004–05 में गत वर्ष के सापेक्ष आय 30 प्रतिशत बढ़ायी जाय। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त परिषद का पुररीक्षित आय–व्ययक 2003–2004 अनुमोदित किया गया। आय–व्ययक 2004–2005 इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि वर्ष 2004–2005 में राजस्व व्यय का प्रत्येक मदवार प्राविधान वर्ष 2003–2004 में हुए वास्तविक व्यय के बराबर रखा जाय।
7–39	वित्तीय वर्ष 2002–03 से परिषद को आयकर अधिनियम से आच्छादित किए जाने के कारण परिषद के वार्षिक लेखों को तैयार करने हेतु	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अग्रिम आयकर जमा करने से पूर्व परिषद द्वारा इनकम टैक्स ट्रिब्यनल

	"सिग्नीफिकेन्ट एकाउण्टिंग पालिसी" के निर्धारण एवं देय आयकर के भुगतान के सम्बन्ध में।	में दाखिल अपील के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाय।
188/7-40	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे (बैलेन्स शीट आदि) के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
188/7-41	परिषद के वित्तीय संवर्ग के अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में संशोधन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

विषय सूची भाग-2
भूमि अर्जन अनुभाग

188/1-42	योजना संख्या-1, बुलन्दशहर में समाविष्ट श्री सुन्दर सिंह आदि की भूमि के सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आख्या प्राप्त कर पुनः आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत की जाय।
188/1-43	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 2558/2 डाक्टर वीरसेन सरोहा, माननीय सदस्य विधान परिषद की भूमि के सम्बन्ध में।	मद संख्या 188/4-13 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
188/1-44	सिकन्दरा योजना, आगरा में समाविष्ट मौजा गैलाना के खसरा संख्या 626 में से 640.50 व0मी0 भूमि को आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करते हुए मैट्रो एण्ड मैट्रो के पक्ष में आबन्टित करने के सम्बन्ध में।	रायल पैकर्स में लिए गए निर्णय के अनुरुप वर्तमान आवासीय दरों पर आसुधार शुल्क लेते हुए अनुमोदित।
188/1-45	तुलसी पुर योजना, वाराणसी की भूमि परित्याग करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
188/1-46	इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बस्तौली के खसरा संख्या 44 की 1.55 में से 11369 वर्ग फुट (1056.05 वर्ग मीटर) भूमि के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।	स्थगित।
188/1-47	हापुड़ नगर में मेरठ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-3, हापुड़ की धारा-28 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही योजना की वायबिलिटी दिखवाकर की जाय। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/1-48	महोली योजना संख्या-2, मथुरा में समाविष्ट खसरा संख्या 1अ तथा 14 की 3.51 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का समुचित आधार नहीं पाया गया। अस्वीकृत
188/1-49	मेरठ विकास प्राधिकरण की राम मनोहर लोहिया नगर योजना की अवशेष समस्त भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को हस्तगत/कब्जा प्राप्त कराए जाने के	प्रस्ताव वापस लिया गया।

	"सिग्नीफिकेन्ट एकाउण्टिंग पालिसी" के निर्धारण एवं देय आयकर के भुगतान के सम्बन्ध में।	में दाखिल अपील के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाय।
188/7–40	वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखे (बैलेन्स शीट आदि) के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
188/7–41	परिषद के वित्तीय संवर्ग के अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में संशोधन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

विषय सूची भाग–2
भूमि अर्जन अनुभाग

188/1–42	योजना संख्या–1, बुलन्दशहर में समाविष्ट श्री सुन्दर सिंह आदि की भूमि के सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आख्या प्राप्त कर पुनः आगामी परिषद बैठक में प्रस्तुत की जाय।
188/1–43	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 2558/2 डाक्टर वीरसेन सरोहा, माननीय सदस्य विधान परिषद की भूमि के सम्बन्ध में।	मद संख्या 188/4–13 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
188/1–44	सिकन्दरा योजना, आगरा में समाविष्ट मौजा गैलाना के खसरा संख्या 626 में से 640.50 व0मी0 भूमि को आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करते हुए मैट्रो एण्ड मैट्रो के पक्ष में आबन्टित करने के सम्बन्ध में।	रायल पैकर्स में लिए गए निर्णय के अनुरुप वर्तमान आवासीय दरों पर आसुधार शुल्क लेते हुए अनुमोदित।
188/1–45	तुलसी पुर योजना [illegible] की भूमि परित्याग	अवलोकित।
	में	स्थगित।

की

–।

	सम्बन्ध में।	
188/1–50	कर्वी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 चित्रकूट की नियोजन समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। अधिसूचना लोक सभा निर्वाचन के बाद जारी की जाय।
188/1–51	परिषद की झूँसी योजना संख्या–3, इलाहाबाद के खसरा संख्या 214 को पुराने पूर्वजों का कब्रिस्तान बताते हुए अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। आदेश निर्गत होने की दिनांक पर प्रचलित आवासीय दर का बीस प्रतिशत आसुधार शुल्क लिया जाय तथा प्रार्थी द्वारा पक्की बाउण्ड्री वाल अपने व्यय पर बनायी जाय। आदेश लोक सभा निर्वाचन के बाद निर्गत किये जॉय।
188/1–52	अमरोहा योजना संख्या–2 में समाविष्ट खसरा संख्या 3711 व 3720 की कब्रिस्तान की भूमि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। आदेश निर्गत होने की दिनांक पर प्रचालित आवासीय दर का बीस प्रतिशत आसुधार शुल्क लिया जाय तथा प्रार्थी द्वारा पक्की बाउण्ड्री वाल अपने व्यय पर बनायी जाय। आदेश लोक सभा निर्वाचन के बाद निर्गत किये जॉय।
188/1–53	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–2 (पूरक) में अर्जित की जा रही भूमि के बदले 60 प्रतिशत भूमि योजना में दिए जाने के सम्बन्ध में।	वृन्दावन योजना के विकास में दिए गए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित। आदेश लोक सभा निर्वाचन के बाद निर्गत किए जॉय।
188/1–54	योजना संख्या–1 विस्तार, कानपुर में समाविष्ट ग्राम कल्याणपुर खुर्द स्थित आराजी संख्या 2229, 230, 240 श्रीमती तसनीम अशरफ व श्री आरिफ अशरफ की भूमि के सम्बन्ध में।	पुनः परीक्षण किया जाय।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

188/2–55	शास्त्री नगर योजना संख्या–7, मेरठ के सेक्टर–10 व 11 स्थित दुर्बल आय वर्ग भवनों के आबन्टियों की समस्याओं के निस्तारण के सममब्न्ध में।	टिप्पणी वापस ली गयी।
188/2–56	परिषद की प्रह्लादपुरी योजना, हरदोई में भगवान महावीर अहिंसा स्मृति केन्द्र को(296. 875) लगभग 297.00 वर्गमीटर भूखण्ड आबन्टित किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। लोक सभा निर्वाचन के बाद आदेश निर्गत किया जाय।
188/2–57	श्री नरेन्द्र सिंह राणा, भारतीय कोच, पावर लिफ्टिंग को शेखूपुरा योजना में	अस्वीकृत।
	व्यावसायिक भू–खण्ड के आबन्टन के सम्बन्ध में। (लख0जोन)	
188/2–58	विकास नगर योजना, लखनऊ में स्थित	अनुमोदित।

	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 2/सी–42 के विरूद्ध देय विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में।	
8/2–59	लोहियापुरम योजना फतेहगढ़ में एम0आई0 जी0 भवन संख्या 1/3 पर आरोपित दण्ड ब्याज माफी विषयक।	स्थगित।
8/2–60	संजय विहार योजना संख्या–2, हापुड़ में आबन्टित भू–खण्ड संख्या–बी–97 के विरूद्ध देय विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में।	स्थगित।
8/2–61	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी– 1206 माननीय राज्य मंत्री श्री घनश्याम शुक्ला के विरूद्ध आरोपित दण्ड व्याज आदि के सम्बन्घ में। (लख0जोन)	ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
8/2–62	डाक्टर इन्द्रा मुद्‌गल के पक्ष में विकास नगर योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट भवन संख्या 10/45 के विरूद्ध देय धनराशि में से तत्काल शुल्क, पुनर्जीवन शुल्क एवं दण्ड ब्याज/ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।(लख0जोन)	आवास आयुक्त को न्यायोचित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
3/2–63	फिरोजाबाद योजना में राजेन्द्र सिंह मेमोरियल सोसाइटी को आबन्टित स्कूल भू–खण्ड की देय किश्तों का विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण आरोपित दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।(सम्पत्ति प्रब0–मु0)	परिषद द्वारा नोट किया गया कि आवासी भूखण्डों के मामलों में ब्याज की दर 13 प्रतिशत वार्षिक रखी गयी है। अतः विद्यालयों को आबन्टित भूमि के मामले में भी ब्याज की दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की जाय। लोक सभा निर्वाचन के बाद आदेश निर्गत किया जाय। घटी ब्याज की दरें आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावित होंगी। तदनुसार इस प्रकरण को भी निर्णीत किया जाता है।

प्रशासन अनुभाग

/3–64	श्री सुरेश प्रसाद, चपरासी/ अर्दली की पुत्री स्व0 बेबी सन्ध्या के हृदय रोग के उपचार हेतु स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की अवशेष धनराशि की माफी के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
/3–65	परिषद में मुख्य अभियन्ता के रिक्त पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
/3–66	इनडोर स्टेडियम राजाजीपुरम के कुशल संचालन हेतु क्रीड़ाधिकारी का एक पद सृजित	पदनाम इस परिवर्तन के साथ अनुमोदित कि प्रकरण शासन को

	किए जाने विषयक।	सन्दर्भित किया जाय।
188 / 3—67	श्री पी0एस0लाल,सहायक आवास आयुक्त को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।

वास्तुकला नियोजन अनुभाग

188 / 4—68	मुरादाबाद स्थित परिषद की बौद्ध विहार योजना में औद्योगिक प्रयोजन हेतु समायोजित भूमि के एक भाग पर अस्पताल निर्माण को अनुमन्य किया जाना।	परिषद इस बात से संतुष्ट है कि बौद्ध बिहार योजना में कोई अस्पताल नहीं है तथा प्रस्ताव जनहित में है। अतः भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु शासन को परिषद की संस्तुति सहित सन्दर्भित किया जाय।

विषय सूची भाग—3

188 / 1—69	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भू—खण्ड संख्या 12 / 625 तथा 12 / 625 / 1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौड़ी सड़क का भू—उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना। (वास्तुकल नियो0 अनु0)	सम्बन्धित सड़क नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः प्रकरण नगर विकास विभाग की सहमति हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाय।
188 / 1—70	वार्तालोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भवनों के मूल्यांकन एवं कब्जा दिए जाने के सम्बन्ध में।(सम्पत्ति प्रबन्ध अनु0)	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि एक बार में बारह मकान का कब्जा समिति को दिया जाय। और उनका भुगतान प्राप्त हो जाने पर अगले बारह मकानों का कब्जा दिया जाय। इस आशय का अनुबन्ध कर लिया जाय।
188 / 1—71	वृन्दावन योजना संख्या—2, लखनऊ में डिफेन्स कर्मचारी सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में।(भूमि अर्जन अनु0)	अस्वीकृत।
188 / 1—72	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भू—खण्ड संख्या—24 / सी0पी0 —101, क्षेत्रफल 5974 वर्गमीटर एवं ग्रुप हाउसिंग भू— खण्ड संख्या—24 / जी0एच0 —102 क्षेत्रफल 5865 वर्गमीटर के सम्बन्ध में। (सम्पत्ति प्रबन्ध अनु0)	विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियाँ अनुमोदित की गयीं। तदनुसार वसूली व अन्य कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
188 / 1—73	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	कोई नहीं।

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 189वीं बैठक
दिनांक 10 सितम्बर, 2004 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 189वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1.	श्री जय शंकर मिश्र	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
2.	श्री वी0 एन0 गर्ग	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
3.	श्री मुकेश मित्तल	विशेष सचिव, वित्त प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0शासन।	सदस्य
4.	श्री जे0 एन0 चैम्बर	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
5.	श्री सुरेश प्रताप सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन।	सदस्य
6.	श्री मनोज सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
7.	श्री स्वराज कुमार	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।	सदस्य
8.	श्री एम0 एस0 ख़ान	वरिष्ठ नगर नियोजक, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
9.	श्री एस0एन0 राम	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10.	श्रीयुत श्रीपाल वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सचिव

विशेष आमंत्री

11.	श्री संजय भूसरेड्डी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0शासन।
12	श्री कामरान रिज़वी	अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
13.	श्री एच0डी0सिंह	वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
14.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने अध्यक्ष महोदय का, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।